समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–110002

तारांकित प्रश्न संख्या – 31
दिनांक – 03.12.2019
प्रश्नकर्ता – श्री विजेन्द्र गर्ग

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि वृद्धावस्था पेंशन का कोटा समाप्त हो चुका है ।	वृद्धावस्था पैंशन में कुल 530000 लाभार्थियों का कोटा निर्धारित है। इसमें से लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण वर्तमान में लगभग 6000 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इनके आबंटन के लिए सरकार द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली एवं समाज कल्याण मंत्री को पूरी दिल्ली से अति जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए विशेष परिस्थिति में वृद्धावस्था पैंशन फॉर्म भरने के लिए 500–500 आवेदनों का विशेष कोटा आबंटित है। इस कोटे के अन्तर्गत तथा जिस विघान सभा में रिक्तियॉ पूर्ण नहीं हुई हैं वहाँ आवेदन जमा किये जा रहे हैं।
(ख)	यदि हॉ, तो क्या इस कोटा के विधानसभा क्षेत्रवार पुनः आबंटन का कोई प्रस्ताव है,	उपरोक्त 'क' के अनुसार।
(ग)	राजेंन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का तिथिवार विवरण , और	आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा हर महीने लाभार्थियों की सूची विभागीय बेबसाइट पर अपलोड की जाती है व संबंधित विधायकों को सूची मेल की जाती है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूची विभाग में उपलब्ध नहीं है ।
(घ)	क्या विधवाओं की बेटी के विवाह हेतु दी जाने वाली राशि को बढाने का कोई प्रस्ताव है ?	विधवा/निराश्रित महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु दी जाने वाली राशि को बढ़ाने पर अभी कोई निर्णय नही लिया गया है।

With the prior approval of Competent Authority.

[signature]

Dy. Director (FAS)
Deptt of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gat
New Delhi-110002